

## फर्द अहकाम

य उपखण्ड अधिकारी चाकसू

शंकर

बनाम

सरकार

संख्या / वर्ष

: 42 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/3/24	<p>पहावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता स्वल्पप्रकारा पारीक हाजीर। जवाब सरकार पूर्व में 14 दिनांक 12/1/23 को पेश हो चुका है जो शामिल नित्त है। बहल वकील प्रार्थी की बुनी गई वाल्ने आदेश पहावली दिनांक 18/3/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(2)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	
18/3/24	<p>पहावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता हाजीर। समयमाव के कारण आदेश लुनाया नहीं जा सका। वाल्ने आदेश पहावली दिनांक 22/3/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(2)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	
22/3/24	<p>पहावली वाल्ने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहल पर भ्रमन करने एवं पहावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर धम पाते हैं कि वाद के परण संख्या 1 में उल्लेखित विवादित आशजीपाम में अंकित प्रार्थी शंकर के पिता जगन्नाथ जाति मीणा के स्थान पर राजा अंकित हो गई है। इसे दुरुस्त किया</p> <p style="text-align: center;">(3)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>जाकर जाते शवक के स्थान पर जाते भीगा दुरन्त किया जाता है, इसी अनुरूप राजस्व रिपोर्ट में अमल किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।</p> <p>विस्तृत निर्णय पृष्ठ ले लिया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा।</p> <p>निर्णय की पालना हेतु तक्षीतवार कौश्यावदा की तहरीर जारी की।</p> <p>पत्रावली केवल शुमार होकर दर्ज नम्बर ले कम ही।</p> <p style="text-align: right;">(2) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>